(44)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/बैतूल/भू.रा./2018/1757 विरूद्ध आदेश दिनांक 25-1-2018 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्र.145/अपील/2017-18.

शंकरलाल वल्द करिया मालवीय
निवासी शंकर नगर
वार्ड भग्गुढाना बैतूल
तहसील व जिला बैतूल .....आवेदक

विरूद्ध

1. सीताराम वल्द चुन्नी मालवीय
2. भैयालाल वल्द सूरतलाल मालवी
   निवासीगण शंकर वार्ड
   भग्गुढाना बैतूल
   तहसील व जिला बैतूल .....अनावेदकगण

श्री संदीप दुबे, अभिभाषक, आवेदक
रंजना गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/4/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-1-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्रमांक 1 सीताराम द्वारा तहसीलदार, बैतूल के प्रकरण क्रमांक 8/अ-13/15-16 में पारित आदेश दिनांक 31-1-2017 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, बैतूल के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 168/अपील/16-17 में दिनांक 23-10-17 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के समक्ष द्वितीय अपील दिनांक 10-1-18 को विलम्ब से प्रस्तुत की गई । आयुक्त द्वारा दिनांक 25-1-2018 को आदेश पारित कर अपील

समय बाह्य होने से अग्राह्य की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने हेतु आवेदक को कोई पेशी नोट नहीं कराई गई थी, जिस पर कोई विचार नहीं करने में आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश आवेदक को संसूचित नहीं किया गया था, इसलिए आयुक्त को आदेश की जानकारी दिनांक एवं नकल प्राप्ति दिनांक 7-12-17 से परिसीमा की गणना करना चाहिए था, किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं करने में भूल की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा विलम्ब का सद्भाविक कारण दर्शाया गया था, किन्तु आयुक्त द्वारा अवधि विधान की धारा 5 में दिन-प्रतिदन का उल्लेख नहीं किये जाने के आधार पर अपील अग्राह्य की गई है, जो कि परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की जानकारी पारित आदेश दिनांक 23-10-17 को होना तथा प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 7-12-17 को प्राप्त होने के संबंध में त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकाला गया है, जबकि आवेदक द्वारा अपने आवेदन में पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाना 7-12-17 का उल्लेख किया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आयुक्त द्वारा विलम्ब माफ नहीं करने की मानसिकता बनाते हुए सरसरी तौर पर आदेश पारित कर अपील समय बाह्य मानकर अग्राह्य की गई है, जबकि आयुक्त को प्रकरण का निराकरण समय-सीमा जैसे तकनीकी आधार पर नहीं किया जाकर, गुण-दोष पर करना चाहिए था । उनके द्वारा आयुक्त का आदेश निरस्त कर प्रकरण का निराकरण गुण-दोष पर करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं:-

1. आवेदक द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 व 2 को एकसाथ पक्षकार बनाया गया है, जबकि दोनों अनावेदकगण के मामले पृथक-पृथक थे, अत: पृथक-पृथक मामलों में पारित आदेशों को पृथक-पृथक रूप से चुनौती दिया जाना आज्ञापक है । वर्तमान निगरानी में इसका अभाव है, इसलिए यह निगरानी अपरिपक्व होकर गुण-दोषों पर निराकृत योग्य नहीं है । इस तर्क के समर्थन में 2003 आर.एन. 183 एवं 1994 आर.एन. 322 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

2. इस न्यायालय के समक्ष अनावेदक क्रमांक 2 के रूप में भैयालाल को पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है, जबकि भैयालाल द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पक्षकार के रूप में

भैयालाल मालवी विरूद्ध शंकरलाल मालवी अपील प्रकरण क्रमांक 172/अपील/2016-17 में आदेश दिनांक 23-10-2017 को पारित किये गये, जिसे आवेदक द्वारा अपील में आयुक्त के समक्ष चुनौती नहीं दी गई है । इसके विपरीत अनावेदक क्रमांक 1 सीताराम मालवी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के अपील प्रकरण क्रमांक 168/अपील/16-17 में पारित आदेश दिनांक 23-10-17 के विरूद्ध आवेदक द्वारा आयुक्त के समक्ष एक मात्र अपील प्रकरण क्रमांक 145/अपील/17-18 आदेश दिनांक 25-1-2018 के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है । अनावेदक क्रमांक 2 भैयालाल मालवी के मामले में पारित आदेश आयुक्त के समक्ष अपील योग्य है, इसलिए निगरानी के माध्यम से एवं मात्र पक्षकार बना देने से यह निगरानी स्वीकार नहीं की जा सकती । इस तर्क के समर्थन में 2005 आर.एन. 363, 422 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

3. आवेदक के विरूद्ध दो आदेश पारित किये गये हैं लेकिन उनके द्वारा दोनों आदेश को चुनौती नहीं देकर एक आदेश को चुनौती दी गई है, जबकि दोनों प्रकरणों में वादग्रस्त सम्पत्ति पृथक होकर विषय वस्तु अलग है । सुनवाई का अवसर रहते अपील का लाभ नहीं उठाया तब मामले में इस कमी को पूरा करने के लिए मामला प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता है । इस तर्क के समर्थन में 2003 आर.एन. 446 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

4. आवेदक द्वारा विलंब के संबंध में बताया गया आधार उचित, समाधानकारक तथा विश्वासोत्पादक नहीं है । विलंब के संबंध में प्रत्येक दिन का स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक है साथ ही जानकारी का श्रोत भी दर्शाना आवश्यक है । आयुक्त के अभिलेख से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा विलंब के संबंध में अभिलेख के विपरीत झूठी कहानी गढ़ी गई है । इस तर्क के समर्थन में 2006 आर.एन. 88, 2007 (2) एम.पी.डब्ल्यू.एन. 25 (एस.सी.), 1995 आर.एन. 306, 1993 आर.एन. 73 एवं 2000(1) एम.पी.डब्ल्यू.एन. 55 (एच.सी.) के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5. पक्षकारों को आदेश की सूचना देना आवश्यक नहीं है । पक्षकारों को अपने अधिकारों की चिंता नहीं है वे केवल अधिवक्ता से कब-कब मिले यह स्पष्ट नहीं है, जबकि आवेदक जिला मुख्यालय का रहने वाला है तथा अनेक मुकदमों में निरंतर आलिप्त रहने वाला शिक्षित व्यक्ति है । मिथ्या शपथ पत्र पर भी विलंब माफ नहीं किया जा सकता है । उक्त तथ्यों के प्रकाश में आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है । इस तर्क के समर्थन में 1995 आर.एन. 318 एवं 1996 आर.एन. 257, 258 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

6. अनावेदकगण द्वारा अन्य आधार गुण-दोष पर उठाये गये हैं, इसलिए उनका उल्लेख नहीं किया जा रहा है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-10-17 की

जानकारी आवेदक को उसी दिन हो गई थी एवं प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 7-12-17 को प्राप्त हो चुकी थी, इसके उपरांत भी उसके द्वारा आयुक्त के समक्ष दिनांक 10-1-18 को समय बाह्य अपील प्रस्तुत की गई है । आवेदक द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब के संबंध में जो आधार दर्शाया गया है, वह प्रमाणिक एवं सद्भाविक नहीं है । अत: विलम्ब का कारण समाधानकारक नहीं होने के कारण अपील समय बाह्य होने से अग्राह्य करने में आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस संबंध में न्याय दृष्टांत 1992 आर.एन. 289 लंगरी (श्रीमती) तथा अन्य विरूद्ध छोटा तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 5-व्याप्ति-अधिकारिता की प्रकृति-वैवेकिक है-पक्षकार विलम्ब माफी के लिए अधिकार के रूप में हकदार नहीं है-पर्याप्त कारण का सबूत-अधिनियम की धारा 5 द्वारा न्यायालय में निहित अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए पुरोभाव्य शर्त है-न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति के अधीन अधिनियम अथवा विधि द्वारा विहित परिसीमा की कालावधि नहीं बढ़ा सकता ।"

आवेदक द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में प्रत्येक दिन के विलम्ब का कारण भी नहीं दर्शाया गया है, जबकि आवेदक को विलम्ब के संबंध में प्रत्येक दिन के विलम्ब का कारण दर्शाया जाना चाहिए था । इस संबंध में 1989 आर.एन. 243 गोदावरीबाई विरूद्ध विमलाबाई में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

परिसीमा अधिनियम, 1963–धारा 5--विलंब के लिए माफी देना–प्रत्येक दिन के विलम्ब का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया–पर्याप्त कारण साबित नहीं किया गया–पर्याप्त कारण के विषय में निष्कर्ष दिये बिना विलंब के लिए माफी नहीं दी जा सकती ।"

उपरोक्त विश्लेषण एवं माननीय उच्च न्यायालय एवं इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्याय दृष्टान्तों के प्रकाश में आयुक्त द्वारा अपील समय बाह्य होने से अग्राह्य करने में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, इसलिए उनका आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है । दर्शित परिस्थिति में आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं हैं ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-1-2018 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर